Taxpayers paying ADVANCE TAX payment through NEFT/RTGS/Over the Bank Counter (OTC) mode are required to generate

Mandate/Challan form using E-pay tax facility on e-Filing portal of the Income-tax Department

एनईएफटी/आरटीजीएस/ओवर द बैंक काउंटर (ओटीसी) मोड के माध्यम से अग्रिम कर भुगतान करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे कर सुविधा का उपयोग करके जनादेश/चालान फॉर्म उत्पन्न करना आवश्यक है।